न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखाण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपर, जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्याः 329/2025(जी.सी.एम.एस. 2025/466)

वादी बनाम	प्रतिवादीगण
जीत सिंह पुत्र राम सिंह जाति जटसिख निवासी 52 जीजी गुलाबेवाला तहसील श्रीकरणपुर।	1. मनजीत कौर उर्फ भोली पुत्री राम सिंह जाति जटसिख निवासी 52 जीजी गुलाबेवाला तहसील श्रीकरणपुर। 2. छिन्द्र कौर पुत्री राम सिंह जाति जटसिख निवासी 52 जीजी गुलाबेवाला तहसील श्रीकरणपुर। 3. पालो कौर पुत्री राम सिंह जाति जटसिख निवासी 52 जीजी गुलाबेवाला तहसील श्रीकरणपुर। 4. तारो पुत्री राम सिंह जाति जटसिख निवासी 52 जीजी गुलाबेवाला तहसील श्रीकरणपुर। 5. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

तारीख रजू 08.10.2025

उपस्थितः 1. श्री मनीष जागिंड अधिवक्ता वादी

—निर्णय—

दिनांकः 18.12.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 5 एफ एफ, पटवार हल्का मानकसर, भू.अ.नि. क्षेत्र मानकसर, तहसील श्रीकरणपुर जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 18/20 के मुरब्बा नम्बर 38, 45, 47/37 की कुल 8.855 हैक्टेयर भूमि में से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की माता जल कौर पत्नी राम सिंह के नाम 0.623 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जल कौर का देहान्त दिनांक 21.07.2006 को हो गया है। वादी के पिता राम सिंह का भी देहांत हो चुका है। दोनों की मृत्यू के पश्चात वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 उनके विधिक वारिसान है। जल कौर द्वारा अपने जीवनकाल में अपनी स्वतंत्र इच्छा से उक्त 0.623 हैक्टेयर भूमि की वसीयत दिनांक 20.03.2006 रूबरू गवाहन के समक्ष वादी के पक्ष में निष्पादित करवा दी थी। उक्त वसीयत सरपंच तरनजीत कौर द्वारा सत्यापित है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को उक्त वसीयत दिनांक 20.03.2006 का भली-भांति ज्ञान है और वसीयत के अनुसार कब्जा भी वादी के पास है। वादी प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का एकमात्र भाई है। उक्त भूमि वादी के कब्जा में अवश्य है, लेकिन वसीयत का नामातंरण आज तक राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम से दर्ज नहीं हुआ है। वादी ने प्रतिवादीगण को कई बार कहा कि वह वसीयत का सहमति से अंकन राजस्व अभिलेख में वादी के नाम दर्ज करवा देवे, लेकिन प्रतिवादीगण अपने परिवार में अत्यधिक व्यस्त होने के कारण, आज कल का कहकर आश्वासित करते रहते है। आज से 15 रोज पूर्व भी वादी ने प्रतिवादीगण को पूर्व की भांति निवेदन किया था, लेकिन उनके द्वारा कोई व्यस्तता का हवाला देकर, एक साथ एकत्रित होने में असमर्थता जाहिर की। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 5 एफ एफ, पटवार हल्का मानकसर, भू.अ.नि. क्षेत्र मानकसर, तहसील श्रीकरणपुर जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 18/20 के मुरब्बा नम्बर 38, 45, 47/37 की कुल 8.855 हैक्टेयर भूमि में से जल कौर पत्नी राम सिंह के नाम दर्ज 0.623 हैक्टेयर भूमि का वसीयत दिनांक 20.03.2006 की रूह से खातेदार घोषित किए जाने के आदेश दिए जावे।
2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के द्वारा बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। जवाब स्टेट पेश नहीं करने पर बंद किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए। वादी अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया कि वादी का वादपत्र डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

सहायक कलक्टर एव पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

3. बहस सुनी गई, बहस के दौरान वादी अधिवक्ता ने वादी का वादपत्र वसीयत दिनांक 20.03.2006 की रूह से डिक्री किये जाने की ईश्तदुआ की है। वादी का वादपत्र, वसीयत दिनांक 20.03.2006, मृत्यू प्रमाण पत्र, वारिस तस्दीक प्रमाण पत्र का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादी का वाद पत्र, वसीयत दिनांक 20.03.2006 मुताबिक डिक्री किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

4. अतः अंतिम डिक्री बहक वादी, विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर वादी जीत सिंह पुत्र राम सिंह को राजस्व ग्राम 5 एफ एफ, पटवार हल्का मानकसर, भू.अ.नि. क्षेत्र मानकसर, तहसील श्रीकरणपुर जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 18/20 के मुरब्बा नम्बर 38, 45, 47/37 की कुल 8.855 हैक्टेयर भूमि में से जल कौर पत्नी राम सिंह के नाम दर्ज 0.623 हैक्टेयर भूमि का वसीयत दिनांक 20.03.2006 की रूह से खातेदार घोषित किया जाकर उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

निर्णय आज दिनांक 18.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

वादी बनाम	प्रतिवादीगण
1. जीत सिंह पुत्र राम सिंह जाति जटसिख निवासी 52 जीजी गुलाबेवाला तहसील श्रीकरणपुर।	1. मनजीत कौर उर्फ भोली पुत्री राम सिंह जाति जटसिख निवासी 52 जीजी गुलाबेवाला तहसील श्रीकरणपुर। 2. छिन्द्र कौर पुत्री राम सिंह जाति जटसिख निवासी 52 जीजी गुलाबेवाला तहसील श्रीकरणपुर। 3. पालो कौर पुत्री राम सिंह जाति जटसिख निवासी 52 जीजी गुलाबेवाला तहसील श्रीकरणपुर। 4. तारो पुत्री राम सिंह जाति जटसिख निवासी 52 जीजी गुलाबेवाला तहसील श्रीकरणपुर। 5. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

वादपत्र धारा अन्तर्गत 88, 91 आरटीए
मुकदमा नम्बर **329/2025**
निर्णय दिनांक :-18.12.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री मनीष जागिंड, उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर वादी जीत सिंह पुत्र राम सिंह को राजस्व ग्राम 5 एफ एफ, पटवार हल्का मानकसर, भू.अ.नि. क्षेत्र मानकसर, तहसील श्रीकरणपुर जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 18/20 के मुरब्बा नम्बर 38, 45, 47/37 की कुल 8.855 हैक्टेयर भूमि में से जल कौर पत्नी राम सिंह के नाम दर्ज 0.623 हैक्टेयर भूमि का वसीयत दिनांक 20.03.2006 की रूह से खातेदार घोषित किया जाकर उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे।

आज दिनांक 18.12.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**04**	**00**	**योग**	**00**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

क्रमांकः रीडर/2025/920 दिनांकः 18.12.2025

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर